

4116/66

Handwritten: 11.40 AM

दिल्ली



राजपत्र

Delhi Gazette

168

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 17, 1975/चैत्र 27, 1897

DELHI, THURSDAY, APRIL 17, 1975/CHAITRA 27, 1897

सं. 14]

No. 14]

भाग IV
PART IV

भाग I में सम्मिलित अधिसूचनाओं को छोड़कर दिल्ली प्रशासन के विभागों की अधिसूचनाएँ
Notifications of Departments of the Delhi Administration
other than notifications included in Part I

दिल्ली प्रशासन, दिल्ली
DELHI ADMINISTRATION, DELHI

गृह विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 4 अप्रैल, 1975

उपसं. 5/12/75-गृह (भा०) - भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं. 11011/2/74-यू.टी.एल. (1) दिनांक 20-3-74 के साथ मिला 22 प्रतियाँ सहित। 1973 (1974 का अधिनियम 2) की धारा 20 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली के उपराज्य निम्नलिखित परिवीला कालोन "दली" निचिल सेवा और "दली" निचिल सेवा के अधिकारियों को दिल्ली महानगर क्षेत्र में, 1975-76 के लिये कार्यकारी मजिस्ट्रेट नियुक्त करते हैं:-

दली निचिल सेवा:

क्र. सं.	नाम	क्रम सं.	नाम
1	2	1	2
1	श्री एम. बाला चन्द्रन	2	श्री राजेन्द्र मिह
3	श्री ए. के. चतुर्वेदी	4	कुमारी जयश्री बर्मा
5	कुमारी वी. एन. सावित्री	6	श्री एम. एन. बगल
7	श्री पी. सी. मिश्रा	8	श्री आर. वी. एम. त्यागी
9	श्री एम. ए. अहमद	10	श्री एम. पी. एम. भाटी
11	श्री आर. सी. श्रीवास्तव	12	श्री एम. क. श्रीवास्तव

1	2	1	2
13	श्री नाथू सिंह	14	श्री ए. के. सरसेना
15	श्री जे. पी. राय	16	श्री ए. के. मेहता
पाटिचरी सिविल सेवा			
17	श्री आर. रघुपान		

आदेश से,
आर. सी. श्रीवास्तव, प्रवर सचिव

HOME DEPARTMENT
NOTIFICATION

Delhi, the 4th April, 1975

No. F. 5/12/75-Home(G).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act II of 1974), read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. U-11011/2/74-UTL(i), dated the 20th March, 1974, the Administrator is pleased to appoint the following probationers of DANI Civil Service and Pondicherry Civil Service to be Executive Magistrates in the Metropolitan area of Delhi upto 9-6-1975 :-

DANI CIVIL SERVICE

S. No.	Name
1.	Shri N. Balachandran.
2.	Shri Rajinder Singh.
3.	Shri A. K. Chaturvedi.
4.	Miss. Jayashree Verma.
5.	Miss. V. N. Savithry.

Attended

Handwritten signature

Asstt Controller (Business)

Govt. of India

Department of...

Handwritten initials

Chit 114 10/9/75

नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय दिल्ली प्रशासन, दिल्ली
में श्रेणी-कारक/श्रेणी-वितरक के पदों के लिये भर्ती नियम

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन या गैर-चयन पद	सौधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सौधी भर्ती के लिए अनुभव	विवेक श्रेणित श्रेणिक योग्यताएं
1	2	3	4	5	6	7	8
श्रेणी-कारक/श्रेणी-वितरक (होम्योपैथिक)	2	श्रेणी III (मलिक-वर्गीय) (अराजपतित)	330-10-380-द० रो०-12-500-द० रो०-15-560- (पूर्णयोग्यता प्राप्त श्रेणी-कारक)	लागू नहीं	18--30 वर्ष (सरकारी कर्मचारियों के लिए शिथिलनीय)	अनुभव ---	1. मेडिकल प्रशिक्षण प्राप्त होना। 2. सरकारी या निजी होम्योपैथिक श्रेणी-कारक/श्रेणी-वितरक के रूप में न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव।
क्या सौधी भर्ती के लिये निर्धारित आयु व शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नति का स्थिति में लागू होंगी।	परीक्षा की अवधि	भर्ती की पद्धति द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धति द्वारा भरे जाने वाले रिक्त स्थानों का प्रति-शत।	सौधी भर्ती पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की स्थिति में श्रेणियों जिरामें पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा।	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान हो तो इक्षका गठन।	पतिनियुक्ति का विवेक श्रेणित भर्ती करने समय लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।		
8	9	10	11	12	13		
लागू नहीं	एक वर्ष।	सौधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं		

- टीप :- 1. अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य विशेष वर्गों के प्रत्याशियों के मामले में सौधी भर्ती के लिये आयु सीमा के अन्तर्गत प्रचालित साधारण आदेशों के अनुसार शिथिलनीय।
2. इन नियमों की किसी बात का इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशानुसार अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए श्रेणित आरक्षणों और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
3. कोई भी पुरुष प्रत्याशी जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं या कोई भी महिला प्रत्याशी जिसने ऐसे व्यक्ति से एक से अधिक जीवित पत्नी है, सौधी भर्ती की स्थिति में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी परन्तु दिल्ली की प्रशासक या समाधान की प्रतीति के लिए विशेष आधार हैं, किसी भी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रत्यावर्तन से छूट दे दिया जाएगा।
4. जहां प्रशासक का यह मत हो कि—ऐसा करना आवश्यक श्रया समीचीन है तो यह कारणों को अभिलिखित करके प्रशासक द्वारा पदों की किसी श्रेणी या वर्ग के सम्बन्ध में इन के उपबन्धों में से किसी को भी शिथिल कर सकेगा।

No. F. 2(144)/74-S. II.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution read with the Government of India, Ministry of Home Affairs notification No. F. 27/59-Him(i), dated the 13th, July, 1959,

the Administrator is pleased to make the following rules in the Schedule hereto annexed regarding the method of recruitment and the qualifications necessary for appointment to the post of Pharmacist/Dispenser (Homeopathic) in the Nehru Homeopathic Medical College, Delhi Administration, Delhi.

Recruitment Rules for the post of Pharmacist/Dispenser (Homeopathic) in Nehru Homeopathic Medical College, Delhi Administration, Delhi.

Name of the post	No of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Pharmacist/Dispenser (Homeopathic)	2	Class-III Non-Ministerial Non-Gazetted	Rs. 330-10-380-EB-12-500-EB-15-560. (for fully qualified Pharmacist)	N.A.	18--30 years (Relaxable for Government Servants)	Essential: 1. Matriculation or equivalent. 2. At least two years experience as a Homeopathic Pharmacist/Dispenser in Government or Private Homeopathic Hospital/Dispensary.

Attested
10/9/75

Asstt Controller (Business)
Govt of India
Department of Publication
New Delhi-54

4115
C/307
1/65

Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation if any.	Method of rectt. whether by direct or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of rectt. by promotion/deputation/transfer, from which promotion/deputation/transfer to be made	If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which U.P.S.C. is to be considered in making recruitment.
---	-----------------------------	--	---	--	--

8	9	10	11	12	13
N.A.	One year	By Direct recruitment.	N.A.	N.A.	N.A.

Notes:— 1. The age limit for direct recruitment will be relaxable in the case of Scheduled Castes/Tribes candidates and other special categories of persons in accordance with the general orders issued from time to time by the Central Government.
 2. Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.
 3. No male candidate who has more than one wife living or no female candidate who has married a person already having a wife living shall be eligible for appointment in case direct recruitment provided that the Administrator, Delhi may after being satisfied that there are special grounds for doing so, exempt any such candidate from the operation of this rule.
 4. Where the Administrator is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may, by order for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of the rules with respect to a class or category of persons/posts.

दिल्ली, 4 अप्रैल, 1975

संख्या फा० 2(5)/72-सेवा (2).—भारत सरकार, गृह मंत्रालय की दिनांक 24 सितम्बर, 1968 की अधिसूचना संख्या फा० 24/78/68-डी एच (एस) के साथ पठित सविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपराज्यपाल संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व परामर्श सहित—

1 (पद का नाम) (पदों की संख्या) (सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक व अन्य योग्यताएँ) कालमों के अधीन उल्लिखित प्रविष्टियों को सहर्ष छोड़ते हैं और उक्त अधिसूचना के कालम 2 के अधीन जोड़ के समक्ष प्रंक "10" के स्थान पर प्रंक "9" प्रतिस्थापित किया जाएगा,

- तकनीकी शिक्षा निदेशालय, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली में फार्मैसी कालेज में (1) प्राध्यापक, (2) विभागाध्यक्ष (द्रोषध-विज्ञान), (3) सहायक प्राध्यापक (द्रोषध विज्ञान) तथा (4) व्याख्याता के पदों पर नियुक्ति के लिए आवश्यक भर्ती पद्धति तथा योग्यताओं के सम्बन्ध में इसके साथ संलग्न अनुसूची में सहर्ष नियम बनाते हैं,
- दिनांक 21 अगस्त, 1969 के दिल्ली राजपत्र, भाग 4 में पृष्ठ संख्या 859 से 881 पर प्रकाशित दिनांक 1-4-69 की अधिसूचना संख्या फा० 2(22)/66-सेवा(2) की संख्या 2 पर उल्लिखित विभागाध्यक्षों के पद के सम्बन्ध में, "(च) द्रोषध विज्ञान", "1" की वर्तमान प्रविष्टियों तथा स्वयं "द्रोषध विज्ञान" शीर्षक सहित उक्त शीर्षक के अन्तर्गत

- दिनांक 21 अगस्त, 1969 के दिल्ली राजपत्र भाग-4 में पृष्ठ 859 से 881 पर प्रकाशित दिनांक 1-4-69 की अधिसूचना संख्या फा० 2(22)/66-सेवा(2) की संख्या 3 पर उल्लिखित व्याख्याताओं के पदों के सम्बन्ध में "(ख) द्रोषध विज्ञान", "3" की वर्तमान प्रविष्टियों तथा स्वयं "द्रोषध विज्ञान" शीर्षक सहित उक्त शीर्षक के अन्तर्गत 1 (पद का नाम), 2 (पदों की संख्या) तथा 7: (सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक व अन्य योग्यताएँ) कालमों के अधीन उल्लिखित प्रविष्टियों को सहर्ष छोड़ते हैं और उक्त अधिसूचना के कालम 2 के अधीन जोड़ के समक्ष प्रंक "37" के स्थान पर प्रंक "34" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

फार्मैसी कालेज, तकनीकी शिक्षा निदेशालय, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली में विभिन्न श्रेणी I पदों के लिए भर्ती नियम

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन या गैर-चयन	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक व अन्य योग्यताएँ।
1	2	3	4	5	6	7
1 प्राध्यापक	1	रामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी I राजपत्रित	1100-50-1300-60-1600 रुपये (संगोपन पूर्व)	चयन	50 वर्ष। (सरकारी कर्मचारियों के लिए शिथिलनीय)	1. किसी मात्रा प्राप्त विज्ञान-क्षेत्र की किसी शाखा में डाक्टर डिग्री या समकक्ष। 2. 10 वर्षों का व्यावसायिक/अनुभव जिसमें से न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव डिग्री कक्षाओं की पढ़ाई का हो।

Attested

10/9/07

Asstt. Controller (Business)
Govt. of India
Department of Publication
Charli Lines, Delhi-54

[Handwritten signature]